

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मनोज कुमार आदि बनाम रामपाल आदि

दावा बाबत :- 88 RTI Act

मुकदमा नम्बर :- 190/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-2021

वादी की ओर से वकील कालकेला सिंह की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील इन्द्रमान सहाय की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रही मनोज मिश्रा की खाता सं० 180/172 के पु.न. 59 के किला नं० 11/2, 19 ता 22 पु.न. 442 के किला नं० 15/6, 17, 24, 25 पु.न. 443 के किला नं० 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 पु.न. 444 के किला नं० 11, 19 ता 22 कुल 78430 हे. बरानी 78000 हे. और पु.न. सं० 80380 हे. कारनी खेतदारी वाद मुक्ति के प्रतिवादी सं० के नाम पर हिस्सा राजस्व रिवाज में जज है पु.न. प्रतिवादी सं० का नाम लालमन मिश्रा जाकर वादी सं० 1 मनोज कुमार व वादी सं० सं० 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खेतदार का बंधनकार घोषित किया जाते है मुक्ति प्रतिवादी सं० ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी सं० के पु.न. में त्याग कर मुक्ति मुक्ति लिया है इसलिए (या) कि जय हिन्द पर पंजीयन विभाग का दथ पंजीयन मुक्ति एवं सहाय 5421 अदा करने व यदि हवि मुक्ति वक के रखा है तो रदन मुक्ति के उपरान्त ही राजस्व रिवाज में अग्रल रिवाज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 भादरा, जिला हनुमानगढ़ 2021
 वे.प. मिश्रा